



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3444] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 20, 2017/अग्रहायण 29, 1939

No. 3444] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 2017/ AGRAHAYANA 29, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3940(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन मंत्रालय, (परिवहन स्कंध) की अधिसूचना का.आ. 728(अ) तारीख 18 अक्टूबर, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्;

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, मद I और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् ;

परिवहन यानों की श्रेणी		अधिकतम स.वा.भा. (टन में)	अधिकतम सुरक्षित धुरी भार
1	2	3	4
“I दृढ़वाहन			
(i)	दो धुरी अगली धुरी पर एक टायर पिछली धुरी पर दो टायर	9.00	अगली धुरी पर 3 टन पिछली धुरी पर 6 टन
(ii)	दो धुरी प्रत्येक धुरी पर दो टायर	12.0	अगली धुरी पर 6 टन पिछली धुरी पर 6 टन
(iii)	दो धुरी अगली धुरी पर दो टायर पिछली धुरी पर चार टायर	16.2	अगली धुरी पर 6 टन पिछली धुरी पर 10.2 टन
(iv)	तीन धुरी अगली धुरी पर दो टायर पिछली धुरी पर आठ टायर	25.0	अगली धुरी पर 6 टन पिछली टैनडम धुरी पर 19 टन

(v) चार धुरी अगली दोनों धुरियों पर चार टायर पिछली टैनडम धुरियों पर आठ टायर	31.0	दोनों अगली धुरियों पर 12 टन पिछली टैनडम धुरियों पर 19 टन
(vi) *एयर सस्पेंशन के साथ 2 धुरी यात्री यान अगली धुरी पर दो टायर और पिछली धुरी पर चार टायर * यदि स्प्रिंग प्रभाव का कम से कम 75 प्रतिशत एयर स्प्रिंग द्वारा कारित होता है तो सस्पेंशन सिस्टम को एयर सस्पेंशन समझा जाएगा।	18.0	अगली धुरी पर 6.5 टन पिछली धुरी पर 11.5 टन
(vii) पाँच धुरी अगली दोनों धुरियों पर चार टायर पिछली टैनडम धुरियों पर आठ टायर अतिरिक्त धुरी पर दो टायर	37	दोनों अगली धुरियों पर 12 टन पिछली टैनडम धुरियों पर 19 टन अतिरिक्त धुरी पर 6 टन
(viii) पाँच धुरी अगली दोनों धुरियों पर चार टायर पिछली टैनडम धुरियों पर आठ टायर अतिरिक्त धुरी पर चार टायर	41.2	दोनों अगली धुरियों पर 12 टन पिछली टैनडम धुरियों पर 19 टन अतिरिक्त धुरी पर 10.2 टन ।”.

[फा. सं. आर.टी.-11028/08/2017-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 728(अ) तारीख 18 अक्टूबर, 1966 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना का.आ. 1434(अ) तारीख 18 अप्रैल, 2016 को संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2017

S.O. 3940(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport, (Transport Wing), number S.O.728(E), dated the 18th October, 1996, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for item I and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

Transport Vehicles Category		Max GVW Tonnes	Maximum Safe Axle Weight
1	2	3	4
“I Rigid Vehicles			
(i)	Two Axle	9.00	
	One tyre on front axle		3 tonnes on Front Axle
	Two tyres on rear axle		6 tonnes on Rear Axle
(ii)	Two Axle	12.0	
	Two tyres on each axle		6 tonnes on Front Axle 6 tonnes on Rear Axle

(iii)	Two Axle Two tyres on front axle and Four tyres on rear axle	16.2	6 tonnes on Front Axle 10.2 tonnes on Rear Axle
(iv)	Three Axle Two tyres on front axle and Eight tyres on rear tandem axle	25.0	6 tonnes on Front Axle 19 tonnes on Rear tandem Axle
(v)	Four Axle Four tyres on Two front axles Eight tyres on Rear tandem axles	31.0	12 tonnes on Two front axles 19 tonnes on Rear tandem axles
(vi)	Two Axle passenger Vehicle with Air Suspension* Two tyres on front axle and Four tyres on rear axle	18.0	6.5 tonnes on Front Axle 11.5 tonnes on Rear Axle
* Suspension system is to be considered as air suspension system if at least 75% of the steering effect is caused by the air spring.			
(vii)	Five Axle Four tyres on Two front axles Eight tyres on Rear tandem axles Two tyres on additional axle	37	12 tonnes on two front axles 19 tonnes on rear tandem axles 6 tonnes on additional axle
(viii)	Five Axle Four tyres on Two front axle Eight tyres on Rear tandem axle Four tyres on additional axle	41.2	12 tonnes on two front axles 19 tonnes on rear tandem axles 10.2 tonnes on additional axle.”.

[F. No. RT-11028/08/2017-MVL]
ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.728(E) dated the 18th October 1996, and last amended *vide* S.O. 1434 (E), dated the 18th April 2016.